क्रमांक 62/24/2016-6जी०एस०1

Deputy Commissioner
Kurukshetra

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

हरियाणा सरकार के

1. सभी विभागाध्यक्ष, अम्बाला, करनाल, हिसार, गुडगांव, फरीदाबाद तथा रोहतक मंडल के आयुक्त तथा सभी जिलों के उपायुक्त ।
2. रजिस्ट्रार, माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ ।
3. सभी उप-मण्डल अधिकारी ।
4. सभी जिला एंव सत्र न्यायाधीश हरियाणा ।
5. सभी बोर्डो/निगमों के प्रबंधक निदेश्क ।
6. हरियाणा राज्य के सभी विश्वविद्यालय ।

दिनांक, चंडीगढ़ 1 फरवरी 2018

विषय: हरियाणा राज्य में हिन्दी भाषा का प्रचलन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सदंर्भ में मुझे निर्देश हुआ है कि मै आपका ध्यान सरकार द्वारा जारी हिदायत क्रमांक 12/45/93-6जी०एस०1, दिनांक 25-5-1993 एवं 62/37/98-6जी०एस०1, दिनांक 6.9.1999 की ओर आकर्षित करूं जिसके माध्यम से यह निर्देश दिये गये थे कि भविष्य में सभी प्रशासनिक कार्य राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही सरकारी टिप्पणियां व पत्राचार करें । अंग्रेजी का प्रयोग केवल उन कानूनी सलाहों में किया जाए जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय से संबंधित है । इसी प्रकार भारत सरकार या दूसरे राज्यों से भी पत्राचार हिन्दी में ही किया जाए, परन्तु यदि आवश्यक हो तो एक अंग्रेजी रूपान्तरण साथ में भेजा जाए । इसके अतिरिक्त हिदायते क्रमांक 62/24/2016-6जी०एस०1, दिनांक 8.6.2016 द्वारा सभी विभागों/उपायुक्तों/बोर्डो/निगमों आदि को यह निर्देश भी जारी किए थे कि उनके विभागीय प्रयोग से संबंधित सभी फार्मो, आवेदन पत्रों का हिन्दी व अग्रेंजी दोनो भाषाओं में स्पष्ट अनुवाद करवाएं व अपनी विभागीय Website पर उपलब्ध करवाना अपने सत्र पर सुनिश्चित करें ताकि आम जनता को इन्हें समझने में परेशानी न हो ।

सरकार के ध्यान में लाया गया है कि इन हिदायतों की पालना भली भांति नहीं की जा रही है तथा अधिकतर विभाग अपना कार्य केवल अंग्रेजी भाषा में ही करते हैं । अत: पुन: निर्देश दिये जाते हैं कि सभी विभाग राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही सरकारी टिप्पणियां व पत्राचार करें । अंग्रेजी का प्रयोग केवल उन कानूनी मामलों में किया जाए जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय से संबंधित हो । आम जनता से पत्राचार हिन्दी भाषा में ही किया जाए । इसके अतिरिक्त सभी विभाग उनके विभागीय प्रयोग से संबंधित सभी फार्मो, आवेदन पत्रों का हिन्दी व अंग्रेजी दोनो भाषाओं में स्पष्ट अनुवाद करवाने व अपनी विभागीय Website पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें

इन निर्देशों की कड़ाई से पालना करने हेतु सरकार के सख्त आदेश हैं ।

हस्ता०

अधीक्षक, सामान्य सेवायें-1 शाखा,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती हैं ।

हस्ता०

अधीक्षक, सामान्य सेवायें-1 शाखा,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

।

सेवा में,

हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव ।

अशा. क्रमांक 62/24/2016-6जी०एस०1 दिनांक, चंडीगढ़ 1 फरवरी, 2018

प्रेषक:

उपायुक्त, कुरुक्षेत्र ।

सेवा में

जिला कुरुक्षेत्र में स्थित,
सभी विभागाध्यक्ष । (Registrar KUK)

क्रमांक 4044-99 /एम.सी.-1 दिनांक 1-3-2018

विषय: हरियाणा राज्य में हिन्दी भाषा का प्रचलन ।

यादि:-

उपरोक्त विषय में मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चण्डीगढ़ से प्राप्त पत्र क्रमांक 62/24/2016-6जी०एस०1 दिनांक 1 फरवरी, 2018 द्वारा निर्देश दिये गये है कि भविष्य में प्रशासनिक विभाग राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही सरकारी टिप्पणीयां व पत्राचार करें ।

अत: सरकार से प्राप्त पत्र की प्रति भेजकर अनुरोध है कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों की दृढता से पालना की जानी सुनिश्चित करें ।

संलग्न:-उपरोक्त

हस्ता०
कृते-उपायुक्त, कुरुक्षेत्र ।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र

पृष्ठांकन क्रमांक: एसीएम.-1/एम.4/18/5610-5682 दिनांक 11.04.2018

कुलसचिव महोदय के आदेशानुसार उपरोक्त पत्र की प्रति इसके सलग्नकों सहित निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना सुनिश्चित करें:-

1. सभी शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक के विभागाध्यक्ष/निदेशक/शाखाअधिकारी, कु०वि०, कुरुक्षेत्र ।
2. प्रधानाचार्य, विश्वविद्यालय महाविद्यालय/शिक्षण महाविद्यालय/विश्वविद्यालय सीनियर सकैण्डरी मॉडल स्कूल, कु०वि०, कुरुक्षेत्र ।
3. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी सैल (IT Cell) को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि वे उपरोक्त अधिसूचना को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें ।
4. डॉ. जयभगवान गोयल, मकान न. 1666, सैक्टर 13, अर्बन एस्टेट, कुरुक्षेत्र को उनके पत्र दिनांक 9.2.2018 के संदर्भ में सुचनार्थ भेजी जाती है ।

हस्ता०
उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
कृते-कुलसचिव